IS 15700 : 2005

सर्वोत्तम प्रमाणित

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 225वीं बैठक
दिनांक 14 अगस्त 2013 का कार्यवृत्त

उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की 225वीं बैठक परिषद अध्यक्ष श्री सदाकान्त, प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे :–

1–	श्री सदाकान्त	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन,उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2–	श्री एम.के.एस.सुन्दरम	आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
3–	श्री आर.पी. कौशिक	प्रतिनिधि मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
4–	श्रीमती नीरजा कृष्णा	संयुक्त निदेशक,प्रतिनिधि,सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग	सदस्य
5–	श्री आर0एन0सिंह	उप सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, नगर विकास	सदस्य
6–	श्री ए0के0दुबे	अनु सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
7–	श्री रंजन मिश्र	वित्त नियंत्रक	सदस्य
8–	श्री जी0एस0 गोयल	मुख्य वास्तुविद नियोजक	सदस्य
9–	श्री रुद्र प्रताप सिंह	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव	सचिव
10–	श्री आर0के0शुक्ला	मुख्य अभियन्ता प्रतिनिधि उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0	विशेष आमंत्री सदस्य

सर्वप्रथम आवास आयुक्त,उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद ने निदेशक मण्डल तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की ओर से अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया। परिषद बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :–

मद संख्या	विषय	निर्णय
225/1	परिषद की 224वीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	परिषद की 224वीं बैठक दिनांक 30.08. 2013 कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
225/2	परिषद की 224वीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2013 की अनुपालन आख्या।	परिषद की 224वीं बैठक दिनांक 30.08. 2013 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
अभियन्त्रण अनुभाग		
225/3	सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–7 में प्रस्तावित ब्रह्मपुत्र इन्क्लेव स्व वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत 2016 नग (जी+3) अल्प आय वर्ग भवनों के निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद को स्व वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत 2016 नग (जी+3) अल्प आय वर्ग भवनों रू0 13957. 94 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न निर्देशों के अधीन प्रदान की गयी:– 1. प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत ही निर्माण कार्य पूर्ण करने के यथासंभव प्रयास किये जायें। 2. निर्धारित समयावधि के अन्दर ही भवनों को पूर्ण कराते हुए आवंटियों को भवन हस्तगत करना सुनिश्चित किया जाय। 3. गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा थर्ड पार्टी से कराये जाने वाली जॉच (चेकिंग) की रिपोर्ट समय–समय पर उच्च अधिकारियों एवं बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की

		जाय। 4. कार्यों को पूर्ण कराने के लिए समय–सारिणी(बार चार्ट) बनायी जाय। 5.कार्यों की प्रगति की समयबद्धता को सुनिश्चित करने हेतु परिषद के उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर स्थल निरीक्षण कराते हुए समीक्षा की जाय।
225/4	गोकुल ग्राम योजना–प्रथम (मुन्नूखेड़ा), लखनऊ की कैटिल कालोनी में दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग श्रेणी के बहुमंजिला भवन (जी+3) निर्मित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी तथा मा0 उच्च न्यायालय के संदर्भित आदेश के कम में मुख्य विधि परामर्शी से विधिक परीक्षण भी करा लिया जाय।
225/5	वृन्दावन योजना संख्या 2, 3 व 4 लखनऊ के सीवेज उत्प्रवाह के शोधन हेतु वृन्दावन योजना संख्या–2 के सेक्टर–10 सी में सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त वृन्दावन योजना सं0–2, 3 व 4, लखनऊ में एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु रू–5723.35 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस निर्देश के साथ प्रदान की गई कि समस्त कार्यवाही समयबद्ध रणनीति के अन्तर्गत की जाय।
225/6	वृन्दावन योजना संख्या–4, लखनऊ के सेक्टर–17 में स्व वित्त पोषित आवासीय परियोजना–2013 के अन्तर्गत प्रस्तावित नीलगिरी इक्लेव में 640 नग (जी+3) एफ–82 प्रकार के फ्लैटस के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	वृन्दावन योजना सं0–4, लखनऊ में स्व वित्त पोषित आवासीय परियोजना–2013 के अन्तर्गत नीलगिरी इन्क्लेव में 640 नग(जी+3) फ्लैट्स के निर्माण हेतु रू–8835.23 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न निर्देशों के साथ प्रदान की गयीः– 1.प्रदत्त् वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत ही निर्माण कार्य पूर्ण करने के यथासंभव प्रयास किये जायें। 2.निर्धारित समयावधि के अन्दर ही भवनों को पूर्ण कराते हुए आवंटियों को भवन हस्तगत करना सुनिश्चित किया जाय। 3.गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा थर्ड पार्टी से कराये जाने वाली जॉच (चेकिंग) की रिपोर्ट समय–समय पर उच्च अधिकारियों एवं बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाय। 4.कार्यों को पूर्ण कराने के लिए समय–सारिणी(बार चार्ट) बनायी जाय। 5.कार्यों की प्रगति की समयबद्धता को सुनिश्चित करने हेतु परिषद के उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर स्थल निरीक्षण कराते हुए समीक्षा की जाय।
225/7	वृन्दावन योजना संख्या–3, लखनऊ के सेक्टर–12 में प्रस्तावित अरावली इक्लेव (मल्टी स्टोरी) के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्मयक विचारोपरान्त वृन्दावन योजना सं0–3, लखनऊ में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित अरावली इन्क्लेव के 560 नग फ्लैट्स के निर्माण हेतु रू– 21506.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति

		निम्न निर्देशों के साथ प्रदान की गयीः– 1.प्रदत्त् वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत ही निर्माण कार्य पूर्ण करने के यथासंभव प्रयास किये जायें। 2.निर्धारित समयावधि के अन्दर ही भवनों को पूर्ण कराते हुए आवंटियों को भवन हस्तगत करना सुनिश्चित किया जाय। 3. गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा थर्ड पार्टी से कराये जाने वाली जॉच (चेकिंग) की रिपोर्ट समय–समय पर उच्च अधिकारियों एवं बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाय। 4. कार्यों को पूर्ण कराने के लिए समय–सारिणी (बारचार्ट) बनायी जाय। 5.कार्यों की प्रगति की समयबद्धता को सुनिश्चित करने हेतु परिषद के उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर स्थल निरीक्षण कराते हुए समीक्षा की जाय।
225/8	वृन्दावन योजना संख्या–4, लखनऊ के सेक्टर–18 में प्रस्तावित एवरेस्ट इक्लेव (मल्टी स्टोरी) के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त वृन्दावन योजना सं0–4 ,लखनऊ में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एवरेस्ट इन्क्लेव के 432 नग फ्लैट्स के निर्माण हेतु रू–28604.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न निर्देशों के साथ प्रदान की गयीः– 1.प्रदत्त वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत ही निर्माण कार्य पूर्ण करने के यथासंभव प्रयास किये जायें। 2.निर्धारित समयावधि के अन्दर ही भवनों को पूर्ण कराते हुए आवंटियों को भवन हस्तगत करना सुनिश्चित किया जाय। 3.गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा थर्ड पार्टी से कराये जाने वाली जॉच (चेकिंग) की रिपोर्ट समय–समय पर उच्च अधिकारियों एवं बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाय। 4.कार्यों को पूर्ण कराने के लिए समय–सारिणी(बार चार्ट) बनायी जाय। 5.कार्यों की प्रगति की समयबद्धता को सुनिश्चित करने हेतु परिषद के उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर स्थल निरीक्षण कराते हुए समीक्षा की जाय।
225/9	अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–3 में प्रस्तावित बहुमंजिले आवासीय फ्लैटस के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त अवध विहार योजना लखनऊ में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत 988 नग फ्लैट्स के निर्माण हेतु रू–36690.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न निर्देशों के साथ प्रदान की गयीः– 1.प्रदत्त् वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत ही

		निर्माण कार्य पूर्ण करने के यथासंभव प्रयास किये जायें। 2.निर्धारित समयावधि के अन्दर ही भवनों को पूर्ण कराते हुए आवंटियों को भवन हस्तगत करना सुनिश्चित किया जाय। 3. गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये तथा थर्ड पार्टी से कराये जाने वाली जॉच (चेकिंग) की रिपोर्ट समय–समय पर उच्च अधिकारियों एवं बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाय। 4. कार्यों को पूर्ण कराने के लिए समय–सारिणी(बार चार्ट) बनायी जाय। 5. कार्यों की प्रगति की समयबद्धता को सुनिश्चित करने हेतु परिषद के उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर स्थल निरीक्षण कराते हुए समीक्षा की जाय।
वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग		
225/10	शासनादेश संख्या–2711/आठ–1–05–34 विविध/ 2003 दिनांक 21.05.2005, शासनादेश संख्या– 3907/8–3–2008–11 विविध/2008 दि0 09.07.08 व 3203/आठ–1–11–07 एल.डी.ए./2011 दिनांक 19.12.2011 के प्राविधानों के अन्तर्गत परिषद द्वारा विकसित की जा रही विभिन्न योजनाओं में बल्क सेल के माध्यम से भूमि निस्तारण के संबंध में।	इस प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त बल्क सेल के माध्यम से भूमि निस्तारण करने के संबंध में सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए आवास आयुक्त की अध्यक्षता में निम्न सदस्यों की समिति का गठन किया जाता है, जो निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों का विस्तृत परीक्षण कर उनके मानक एवं प्रकिया का निर्धारण करते हुए अपनी संस्तुति अध्यक्ष के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगी : 1. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव–संयोजक 2. वित्त नियंत्रक–उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद 3. मुख्य वास्तुविद् नियोजक –उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद 4. वरिश्ठ स्टाफ आफिसर–उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद 5- मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक अथवा उनके प्रतिनिधि।
225/11	आवासीय भूखण्ड संख्या–ए–242 योजना संख्या–1 इटावा पर निर्मित नर्सिंग होम को विनियमित किये जाने के संबंध में।	बैठक में अवगत कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री आर0के0 मित्तल बनाम राज्य सरकार उ0प्र0 वाद में आवासीय भूखण्ड के भू–उपयोग परिवर्तन से संबंधित आदेश निर्गत किये गए है। प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण उक्त आदेशों के कम में कराया जाना आवश्यक है। उपरोक्त वर्णित आदेशों के दृष्टिगत विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत रिट याचिका में पारित आदेशों के कम में प्रस्ताव का विधिक परीक्षण कर

		लिया जाए। तदोपरांत आवश्यकतानुसार प्रस्ताव परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
225/12	आगरा स्थित ट्रान्स यमुना एफ–2 आगरा के सेक्टर–एफ में स्थित आवासीय भवन संख्या–एफ–03 को नर्सिंग होम में अनुमन्य करने के संबंध में।	बैठक में अवगत कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा श्री आर0के0 मित्तल बनाम राज्य सरकार उ0प्र0 वाद में आवासीय भूखण्ड के भू–उपयोग परिवर्तन से संबंधित आदेश निर्गत किये गए है। प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण उक्त आदेशों के कम में कराया जाना आवश्यक है। उपरोक्त वर्णित आदेशों के दृष्टिगत विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत रिट याचिका में पारित आदेशों के कम में प्रस्ताव का विधिक परीक्षण करा लिया जाए। तदोपरांत आवश्यकतानुसार प्रस्ताव परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
225/13	दो एकड़ एवं उससे बड़े भूखण्डों पर सीवर ट्रीटमेंट प्लान एवं रिसाइक्लिंग की व्यवस्था अनिवार्य किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त दो एकड़ एवं उससे बडे भूखण्डों पर सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान एवं रिसाइकिंलिग की व्यवस्था इस निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि परिषद की योजनाओं में इसे दृढ़ता के साथ लागू किया जाये।
225/14	मानचित्र स्वीकृति हेतु विभिन्न मदों के शुल्कों में वृद्धि एवं मैकनाईज पार्किंग को स्थल पर सुनिश्चित किये जाने हेतु तथा अशमनीय भाग को ध्वस्त करने हेतु शपथ पत्र के साथ जमा करायी जाने वाली प्रतिभूति धनराशि के निर्धारण के संबंध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है। 1. मानचित्र स्वीकृति हेतु विभिन्न मदों के शुल्कों में प्रस्तावित वृद्धि अनुमोदित की जाती है। 2. मैकनाईजड पार्किंग सिस्टम की स्वीकृति के समय एफ0डी0आर0 के स्थान पर बैंक गारन्टी ली जाए। 3- शमन से संबंधित प्रकरण में अवगत कराया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शमन की कार्यवाही के संबंध में कुछ आदेश पारित किये गये है। उक्त आदेशों का अध्ययन करते हुए तद्नुसार प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किया जाए।
225/15	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद स्थित भूखण्ड संख्या–2बी/आई.एन.एस.–3, 2बी/आई.एन.एस–4 एवं 2बी/आई.एन.एस–6 का भूपयोग संस्थागत से आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) में प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में।	परिषद की 223वीं बैठक के विषय संख्या–15 पर पारित निर्णय में अंकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
225/16	वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के भूखण्ड संख्या 15/काम–2 का भू–प्रयोग व्यवसायिक से आवासीय (समूह आवास) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।	परिषद की 223वीं बैठक के विषय संख्या–15 पर पारित निर्णय में अंकित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
225/17	वसुन्धरा योजना के भूखण्ड संख्या–13/एस–2, 14/काम–1, 16काम–1, 14/काम	परिषद की 223वीं बैठक के विषय संख्या–15 व परिषद की 224वीं बैठक के

	–2, 4/काम–1 का भूपयोग व्यवसायिक से आवासीय में परिवर्तन किये जाने के संबंध में।	विषय संख्या–14 पर लिए गए निर्णय के दृष्टिगत उक्त निर्णयों में अंकित शर्तों के अधीन प्रश्नगत प्रस्ताव में अंकित समस्त प्रकरणों में तद्नुसार ही अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जाए।
	सम्पत्ति प्रबन्ध अनुभाग	
225/18	परिषद योजनाओं में मल्टीप्लेक्स/शापिंग माल हेतु आरक्षित भूखण्डों के निस्तारण के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
225/19	परिषद योजनाओं में पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प भूखण्डों के निस्तारण के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव इस संशोधन के साथ अनुमोदित कि एक वर्ष की बाध्यता न रखी जाय तथा पेट्रोल पम्प स्थापित होने तक भूखण्ड लीज पर आवंटित किया जाये तथा पेट्रोल पम्प स्थापित होने के बाद फ्री–होल्ड की कार्यवाही की जाय, किसी भी दशा में इस भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन भविष्य में नहीं किया जायेगा।
225/20	टीका पुरवा ग्राम समीउद्दीनपुर खसरा संख्या–419 में 0–2 विस्वा भूमि पर (Under Protest) जमा की गई ब्याज की धनराशि वापस दिलायें जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
225/21	मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 10.11.2012 को जनपद मेरठ के भ्रमण के दौरान की गई घोषणाओं के अनुपालन में शास्त्री नगर योजना सं0–3, मेरठ व माधवपुरम् योजना, मेरठ में पुलिस चौकी स्थापित कराने हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।	प्रश्नगत प्रकरण पर विचार किया गया कि आवास विकास परिषद भी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है। अतएव मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप निःशुल्क भूमि आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।
225/22	परिषद की इन्दिरानगर योजना, लखनऊ के सेक्टर–8 में स्थित नव चेतना पब्लिक स्कूल के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय में लंबित अवधि के ब्याज से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
225/23	वृन्दावन योजना, लखनऊ में पी0जी0आई0 के अधिकारियों/कर्मचारियों को वरीयता दिये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
225/24	परिषद योजनाओं में नीलामी से निस्तारित होने वाली आवासीय सम्पत्तियों एवं शैक्षिक भूखण्डों के आरक्षित मूल्य के विरूद्ध प्राप्त उच्चतम बोलियों के स्वीकृति अधिकार के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
225/25	परिषद की शाकुम्भरी विहार योजना, सहारनपुर में मण्डी परिषद को "अपना बाजार"निर्माण हेतु मल्टीप्लेक्स/शापिंग माल हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या–1बी/एम.पी.एक्स.–1 को नीलामी से मुक्त कराकर आरक्षित मूल्य पर दिये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

वित्त एवं लेखानुभाग		
225/26	कार्यप्रभारित कार्मिकों को छठे वेतनमान से लाभान्वित किये जाने के पश्चात वेतन एरियर आदि हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 के बजट में प्राविधान किये जाने विषयक।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
225/27	वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–2011, 2011–12 की बैलेन्स शीट के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त बैलेन्स शीट अवलोकित की गयी।
सेवोत्तम प्रकोष्ठ		
225/28	परिषद में सेवोत्तम मॉडल विकसित किये जाने के फलस्वरूप भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारतीय मानक IS 15700 : 2005 के लिए सेवा गुणता प्रबन्ध पद्धति प्रमाणन लाइसेन्स प्रदान किये जाने के संबंध में।	अवलोकित किया गया तथा परिषद प्रबंधन को इस हेतु बधाई दी गयी।
भूमि अर्जन अनुभाग		
225/29	परिषद की दिल्ली रोड़ भूमि विकास एवं गृहस्थान योजन संख्या–8 सहारनपुर के अन्तर्गत खसरा संख्या–277/1, 277/2, 278/1 व 278/2 कुल क्षेत्रफल 2.932 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अवलोकित किया गया।
225/30	परिषद की कोटद्वार रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0–1 नजीबाबाद के प्रतिकर निर्धारण के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
225/31	परिषद अधिनियम की धारा–50 के प्राविधानों के अन्तर्गत देय आसुधार शुल्क के पुर्ननिधारण के संबंध में।	निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर वैधानिक बिन्दुओं का परीक्षण करते हुए आगामी बैठक में रखा जाय।
225/32	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ में किसानों के साथ हुई वार्ता पर कार्यवाही के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकरण में निम्न संशोधन के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया:– 1. 0 से 2000 व.मी. तक– 75 व.मी. 2. आधा एकड़ से एक एकड़ तक– 130 व.मी. 3. एक एकड़ से दो एकड़ तक– 250 व.मी. 4. दो एकड़ से तीन एकड़ तक– 360 व.मी. 5. तीन एकड़ एवं बड़े भूखण्डों पर– 450 व.मी. अन्य बिन्दुओं के सम्बंध में यह निर्णय लिया गया कि आवास आयुक्त अपने स्तर से परीक्षण करके उन पर निर्णय लेने हेतु सक्षम है तो निर्णय लेकर कार्यवाही करें, यदि किसी बिन्दु पर परिषद का निर्णय अपेक्षित है तो उसे आगामी बैठक में रखा जाय।
225/33	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की दिल्ली–सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, गाजियाबाद की अधिग्रहीत भूमि के भूस्वामियों की मांगों के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त भू–स्वामी को 5% के स्थान पर 6% विकसित भूमि दिये जाने की सैद्धान्तिक सहमति दी गयी तथा धारा–28 के बाद पुश्तैनी भू–स्वामी द्वारा किये गये निर्माण को अर्जनमुक्त किये जाने

		के सम्बंध में यह निर्णय लिया गया कि अपर आवास आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर प्रत्येक प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर परीक्षण कर, समिति की संस्तुति आगामी बैठक में रखी जाय।
, 225/34	परिषद की दिल्ली बुलन्दशहर बाईपास मार्ग भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना (सिद्धार्थ विहार), गाजियाबाद के विस्थापित काश्तकारों की समस्याओं के निराकरण हेतु किसान संघर्ष समिति गाजियाबाद की मांगों के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त भू–स्वामी को 5% के स्थान पर 6% विकसित भूमि दिये जाने की सैद्धान्तिक सहमति दी गयी तथा धारा–28 के बाद पुश्तैनी भू–स्वामी द्वारा किये गये निर्माण को अर्जनमुक्त किये जाने के सम्बंध में यह निर्णय लिया गया कि अपर आवास आयुक्त एवं सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर प्रत्येक प्रकरण का गुण दोष के आधार पर परीक्षण कर, समिति संस्तुति आगामी बैठक में रखी जाय।
प्रशासन अनुभाग		
225/35	श्री अनिल कुमार जैन, अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) को वर्ष 2010–11 में दिनांक 26.10.10 से दिनांक 27.12.10 की अवधि की संसूचित प्रतिकूल प्रविष्टि को आलोपित कर स्वःमूल्यांकन आख्या के आधार पर श्रेणी को उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
225/36	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में नियुक्त मुख्य विधि परामर्शी के सेवाकाल को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
225/37	सम्पत्ति प्रबन्धक के पद पर सीधी भर्ती हेतु निर्धारित अर्हता के साथ अंकित वरीयता में आंशिक संशोधन के संबंध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
225/38	परिषद कार्मिकों को मंहगाई भत्तादि01.1.13 से अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
225/39	परिषद के अवर अभियन्ताओं को 30 लीटर पेट्रोल की प्रतिपूर्ति प्रतिमाह अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
225/40	शासकीय आदेशान्तर्गत लिपिक/आशुलिपिक संवर्ग के वेतनमानों को दिनांक 01.01.1986 से पुनरीक्षित किये जाने के फलस्वरूप देय एरियर वेतन को स्थगित किये जाने सम्बन्धी आदेश को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
225/41	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय पर 05 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
225/42	परिषद में कार्यरत ऐसे अवर अभियन्ताओं, जिन्होंने विभाग में रहते हुए सिविल/विद्युत इन्जीनियरिंग में स्नातक की डिग्री अथवा	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।

	ए0एम0आई0ई0 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भविष्य में सहायक अभियन्ता (सिविल)/सहायक अभियन्ता (विद्युत) के पद पर होने वाली भर्ती हेतु आयु सीमा में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	
225/43	नियमित कार्यप्रभारित कर्मचारियों की मृत्यु उपरान्त उनके आश्रित सदस्य को क्षतिपूर्ति के आधार पर परिषद में सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	शासनादेशों के परिप्रेक्ष्य में पुनः समिति के माध्यम से परीक्षण कराकर परिषद बोर्ड बैठक में रखा जाय।
	गोपन अनुभाग	
225/44	श्री आर0के अग्रवाल, अधीक्षण अभियन्ता (वरिष्ठ स्टाफ आफीसर) की विभिन्न वर्षो की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों में प्रदान की गयी "श्रेणी" को उच्चीकृत किये जाने संबंधी प्रत्यावेदन दिनांक 19–03–2013 पर मा0 परिषद द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 02–07–2013 की संस्तुति पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में।	इस सम्बंध में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि कार्मिक के शासनादेश की प्रति समस्त अधीक्षण अभियंताओं को इस आशय से भेजा जाय कि यदि उन्हें शासनादेश के अनुसार कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना है तो संबंधित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। समिति की संस्तुति पर निर्णय लेने हेतु आवास आयुक्त को अधिकृत किया गया।
	समन्वय अनुभाग	
225/45	श्री दयाराम, मुख्य मानचित्रक के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावें पर निदेशक मण्डल की स्वीकृति के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
225/46	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड केन्द्रीय नगर बस टर्मिनल चारबाग, लखनऊ को परिषद से वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि एक वर्ष के लिए रू0 30,000.00 प्रतिमाह की दर से किराये के बोलेरो वाहन हेतु धनराशि उपलब्ध करा दी जाय।
	अभियन्त्रण अनुभाग	
225/47	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद एवं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की सहभागिता के आधार पर गाजियाबाद की अवस्थापना निधि से कराये जाने वाले कार्यो के विरूद्ध धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।	अवस्थापना निधि में धनराशि की उपलब्धता न होने, पूर्व से ही अन्य कार्यो के स्वीकृत होने तथा मेट्रो रेल के विकास हेतु परिषद द्वारा धनराशि उपलब्ध कराये जाने की वचनबद्धता के दृष्टिगत टोकन स्वरुप रू0 एक करोड़ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
	वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग	
225/48	परिषद द्वारा विकसित की जा रही अवध विहार योजना, लखनऊ एवं आगरा में प्रस्तावित परिषद की योजना में अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय कनवेंशन सेंटर निर्मित कराये जाने के सम्बंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
225/49	लोनी रोड योजना, गाजियाबाद में एन.टी.पी.सी. को 400 के0वी0ए0 प्रस्तावित दादरी लोनी ट्रान्समिशन लाइन हेतु 34.50 मीटर चौड़ा कोरिडोर उपलब्ध कराने के संबंध में।	सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

सम्पत्ति प्रबंध अनुभाग		
225/50	मा0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ0प्र0 की संस्तुति के क्रम में संजय विहार योजना सं0–2, हापुड़ स्थित लगभग 2200 वर्गमीटर भूमि आवंटन किये जाने के सम्बंध में।	प्रश्नगत प्रकरण में यह निर्णय लिया गया कि मा0 उच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित है, अतः निर्णय की प्रतीक्षा की जाय।
225/51	माननीय अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय।	

अनुमोदित

(सदाकान्त)
अध्यक्ष

पुष्टि की गयी
अध्यक्ष